तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुनील पारीक बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 173/2019
21.10.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुनील पारीक, पता पुरोहित भवन, स्व. ठाकुर मानसिंहजी के बंगले के पीछे, इन्द्रोका, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.07.19 में उसके द्वारा (1) राजस्थान में एन्टी भू–माफिया पोर्टल कब बनाया गया व अन्य 03 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1417 दिनांक 26.09.19 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जाहिर किया कि प्रभारी अधिकारी, संस्थापन, न्यायिक, सतर्कता एवं राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1247 दिनांक 09.09.19 द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 से संबंधित प्राप्त सूचना गलत व अपूर्ण है। बिन्दु संख्या–4 में प्रार्थी ने निजी एवं सरकारी जमीनों पर भू–माफियों द्वारा हेतु वर्तमान मं जिले भर में क्या प्रकिया अस्तित्व में है, के बारे में लोक सूचना अधिकारी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है, सूचना दी गई। यद्यपि उक्त सूचना निजी एवं सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया के लिए विधि की किताबे बाजार में भी उपलब्ध है अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना दी गई, वो अपूर्ण नहीं है, परिणामस्वरूप यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2019.11.09 10:58:21 IST
Reason: SelfAttested